कार्यालय नगरपालिका मंडल, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक / फायर / 2021–22 / 20 दिनांक : 02/12/2021

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रेषितः–
प्रधानाचार्य,
स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय,
सूरतगढ़

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके भवन "स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय सूरतगढ़ (राजकीय विद्यालय) का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र के लिए निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए। अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के पत्रांक एफ 37(5)(1)शिक्षा / विकास / 2021 / 13300–13303 दिनांक 17.11.2021 की अनुपालना में निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अस्थाई (Temporary) अनापत्ति प्रमाण पत्र 'निःशुल्क' जारी किया जाता है:–

शर्तें:–

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
3. अग्निमशन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा–निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम / उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदाथ नहीं रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की ऊँचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत् आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफ टॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफ टॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका सूरतगढ़

पूर्ण पता :– वार्ड नम्बर 21, राष्ट्रीय उत्थान रामलीला प्रबन्ध समिति के सामने, सूरतगढ़–335804
दूरभाष नम्बर – 01509–220046 ईमेल पता – eombsog@gmail.com , np.suratgarh@rajasthan.gov.in